MR. SPEAKER: The House will now take up Matters under Rule 377.

Prof. Dukha Bhagat.

Title: Need to amend Forest laws to promote development of ST dominated areas.

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे गृह राज्य झारखंड से 50 प्रतिशत की आय वनों से होती है और वनों की हिफाजत आदिवासी लोग करते हैं। परन्तु उनकी शिक्षा और रहन-सहन निम्न स्तर का है। जो कानून आदिवासी लोगों के लिए बना रखे हैं, वह आदिवासी लोगों के विकास में बाधक हैं। इन कानूनों के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, बिजली के खम्बे नहीं लग सकते हैं, डैम नहीं बन सकते हैं, नहरों का निर्माण नहीं हो सकता है और सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं परन्तु धनराशि उन तक नहीं पहुंचती है जिसके कारण आदिवासी लोगों को वर्तमान समय में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच की जाए और आदिवासी क्षेत्रों के लिए बने कानूनों की समीक्षा की जाए और उनको इस प्रकार से बदला जाए जिससे आदिवासी लोगों का विकास हो सके।